# उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965

## (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1965)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 18 फरवरी, 1965 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 3 मार्च, 1965 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया)

(''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 18 मार्च, 1965 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 20 मार्च, 1965 ई0 को प्रकाशित हुआ।)

विशेष पुलिस दल के रूप में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के संघटन, अधीक्षण तथा प्रशासन की व्यवस्था करने के लिये

**अधिनियम**

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

**1. संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार––**

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, 1965 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

**2. सतर्कता अधिष्ठान का संगठन तथा अधिकार–**

(1) पुलिस एक्ट, 1861 में किसी बात के होते हुये जो राज्य सरकार धारा 3 के अधीन विज्ञापित अपराधों का अनुसंधान करने के लिये एक विशेष पुलिस दल संघटित कर सकती है, जो उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान कहलायेगा।

(2) किन्हीं भी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार तदर्थ दे, ऐसे अपराधों का अनुसंधान करने तथा ऐसे अपराधों से सम्बद्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में उक्त अधिष्ठान के सदस्यों को वे सभी अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार तथा दायित्व होंगे जो ऐसे अपराधों के अनुसंधान करने के सम्बन्ध में राज्य के सामान्य पुलिस दल के तदनुरूप पद धारण करने वाले पुलिस अधिकारियों को हैं और तत्समय किसी विधि के अन्तर्गत अधिकार प्रदान किये जाने के निमित्त वे राज्य के सामान्य पुलिस दल में तदनुरूप पद धारण करने वाले पुलिस अधिकारी समझे जायेंगे।

(3) उक्त अधिष्ठान का उप–निरीक्षक अथवा उससे ऊँचे पद का कोई सदस्य, राज्य सरकार द्वारा तदर्थ किये जाने वाले किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, उपधारा (2) के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने में, उस क्षेत्र में जिसमें वह तत्समय हो, थाने के प्रभारी अधिकारी के किन्हीं भी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और जब वह उपर्युक्त किन्हीं ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए ऐसे, अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग करे तो वह अपने थानों की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारी के कृत्यों का संपादन करने के लिये थाने का प्रभारी अधिकारी समझा जायेगा।

**3.** सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अपराधों का अनुसंधान किया जाना–– राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, ऐसे अपराधों अथवा अपराधों के ऐसे वर्गों को निर्दिष्ट कर सकती है, जिसका अनुसंधान उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा किया जाना हो।

---

* उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 15 फरवरी, 1965 ई0 का सरकारी असाधरण गजट देखिये।

**4. सतर्कता अधिष्ठान का अधीक्षण तथा प्रशासन–**

(1) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान का अधीक्षण राज्य सरकार में निहीत होगा।

(2) उक्त अधिष्ठान का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त ऐसे अधिकारी में निहीत होगा जो सतर्कता निदेशक कहलायेगाा और वह उक्त अधिष्ठान के सम्बन्ध में, राज्य के साधारण पुलिस दल के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रयोक्तव्य ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करें।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के रहते हुए, पुलिस एक्ट, 1861 और तद्धीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के उपबन्ध जैसे कि वे राज्य के सामान्य पुलिस दल के सम्बन्ध में लागू होते हों उक्त अधिष्ठान के सदस्यों के सम्बन्ध में ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा लोप के रूप में हो, लागू होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उनमें इस अधिनियम के प्रयोजनों से संगत किये जायें।

**5. निरसन तथा अपवाद–**

(1) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अध्यादेश, 1965 निरस्त किया जाता है।

(2) इस निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन दिया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम 5 जनवरी, 1965 को प्रारम्भ हुआ हो।

आज्ञा से,
बृज लाल चक
सचिव